न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

अपील संख्या : 2020/00065

1. सुरेश चन्द आत्मज गोपाल जाति मीणा ।
2. रामकिशन आत्मज गोपाल जाति मीणा ।
3. रामचरण आत्मज गोपाल जाति मीणा निवासीगण ग्राम गढेपान तहसील दीगोद जिला कोटा ।

---अपीलान्ट

बनाम

1. स्व0 हंसराज आत्मज रामनारायण जाति गुर्जर निवासी ग्राम रेलगॉव तहसील दीगोद जिला कोटा (मृतक) जरिये कायममुकामान :-
   1/1. मोनू कुमार आत्मज स्व0 हंसराज जाति गुर्जर ।
   1/2. अशोक कुमार आत्मज स्व0 हंसराज जाति गुर्जर ।
   1/3. आशा कुमारी पुत्री स्व0 हंसराज जाति गुर्जर निवासीगण ग्राम रेलगॉव तहसील दीगोद जिला कोटा ।
2. श्रीमती राममूर्ति बाई पत्नी स्व0 श्री हंसराज जाति गुर्जर निवासी ग्राम रेलगाूव तहसील दीगोद जिला कोटा ।

---रेस्पोडन्ट

अपील संख्या : 2020/00066

1. सुरेश चन्द आत्मज गोपाल जाति मीणा ।
2. रामकिशन आत्मज गोपाल जाति मीणा ।
3. रामचरण आत्मज गोपाल जाति मीणा निवासीगण ग्राम गढेपान तहसील दीगोद जिला कोटा ।

---अपीलान्ट

बनाम

1. स्व0 हंसराज आत्मज रामनारायण जाति गुर्जर निवासी ग्राम रेलगॉव तहसील दीगोद जिला कोटा (मृतक) जरिये कायममुकामान :-
   1/1. मोनू कुमार आत्मज स्व0 हंसराज जाति गुर्जर ।

1/2. अशोक कुमार आत्मज स्व0 हंसराज जाति गुर्जर ।
1/3. आशा कुमारी पुत्री स्व0 हंसराज जाति गुर्जर निवासीगण ग्राम रेलगॉव तहसील दीगोद जिला कोटा ।
2. श्रीमती राममूर्ति बाई पत्नी स्व0 श्री हंसराज जाति गुर्जर निवासी ग्राम रेलगाूव तहसील दीगोद जिला कोटा ।

---रेस्पोडन्ट

उपस्थित :– 1. श्री नरेन्द्र गुप्ता, अभिभाषक, अपीलान्ट की ओर से ।
2. श्री घनश्याम नागर, अभिभाषक, रेस्पोडेन्टगण की ओर से ।

निर्णय

दिनांकः 17.08.2021

1. अपीलान्ट द्वारा उक्त दोनों अपीलें अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, दीगोद जिला कोटा द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 06.03.2020 के विरूद्ध पेश की गई हैं ।

2. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार से हैं कि वादीगण रेस्पोडेन्ट ने परीक्षण न्यायालय में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 183 एवं 188 के अन्तर्गत वाद प्रस्तुत कर कथन किया कि ग्राम रेल तहसील दीगोद जिला कोटा में कुल 03 किता की 5.82 हैक्टर भूमि स्थित है । उक्त भूमि वादी कम 01 के खाते एवं कब्जे काश्त की भूमि है जिस पर वादी काबिज होकर काश्त करता चला आ रहा है । उक्त भूमि से प्रतिवादीगण का किसी प्रकार का कोई सम्बन्ध नहीं है । वादी के जेल में चले जाने के बाद से एवं वादी कम 02 महिला होने से प्रतिवादीगण वादी की उक्त भूमि पर जबरन ताकत के बल पर कब्जा करने की नीयत रखते हैं । वादी कम 01 को किसी प्रकरण में सजा हो जाने के कारण वादी कम 01 न्यायिक हिरासत में चला गया और वादी कम 02 ही उक्त भूमियों की काश्त की देखभाल कर रही थी कि प्रतिवादीगण वादी कम 02 को डरा धमका कर भूमि से बेदखल करने व उसके कब्जे काश्त में मदाखलत व मजाहमत पैदा करने पर आमादा हैं जिसका प्रतिवादीगण को कोई अधिकार प्राप्त नहीं है । प्रतिवादीगण ने जबरन ताकत के बल पर उक्त भूमि पर कब्जा कर लिया । वादीगण को अधिकार प्राप्त है कि वे उक्त भूमि से प्रतिवादीगण को बेदखल कर कब्जा वापस प्राप्त करें ।

3. अतः वाद वादीगण स्वीकार किया जाकर वादीगण के पक्ष में प्रतिवादीगण के विरूद्ध इस आशय की डिकी पारित की जावे कि वादग्रस्त आराजी से प्रतिवादीगण को बेदखल कर कब्जा वापस वादीगण को दिलाया जावे तथा प्रतिवादीगण को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द फरमाया जावे कि वे वादग्रस्त आराजी पर वादीगण के कब्जे काश्त में किसी प्रकार की मदाखलत व मजाहमत नहीं करें तथा काश्त करने में कोई व्यवधान उत्पन्न नहीं करें । उक्त कृत्य न तो स्वयं प्रतिवादीगण करें और न ही अपने किसी प्रतिनिधि से करावें ।

4. प्रतिवादीगण ने जवाबदावा मय काउन्टर क्लेम पेश कर वादीगण के वादपत्र में कहे गये कथनों को अस्वीकार करते हुए वादीगण का वादपत्र खारिज करने एवं काउन्टर क्लेम स्वीकार करने का कथन किया ।

5. अधीनस्थ न्यायालय ने अपने निर्णय दिनांक 06.03.2020 के द्वारा वाद वादीगण स्वीकार किया जाकर डिक्री कर दिया तथा प्रतिवादीगण द्वारा प्रस्तुत काउन्टर क्लेम खारिज कर दिया ।

6. अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 06.03.2020 से व्यथित होकर प्रतिवादीगण अपीलान्ट ने न्यायालय हाजा में दोनों अपीलें प्रस्तुत कर कथन किया कि वादग्रस्त आराजी अपीलान्ट के पिता ने रेस्पोडेन्ट क्रम 01 के पिता एवं रेस्पोडेन्ट क्रम 02 के ससुर से दिनांक 10.05.1993 को जरिये तहरीर क्रय की थी । अपीलान्ट के पिता का क्रय की दिनांक से ही उक्त भूमि पर कब्जा काश्त चला आ रहा है । वादग्रस्त आराजी से वादीगण रेस्पोडेन्ट का कोई सम्बन्ध नहीं है और न ही उनका उक्त भूमि पर कब्जा काश्त है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री त्रुटिपूर्ण है । अतः दोनों अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 06.03.2020 निरस्त फरमाये जावें ।

7. दोनों अपील अपीलान्ट दर्ज रजिस्टर की गईं । अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई । उभय पक्ष के लायक अधिवक्तागण की बहस सुनी गई ।

8. अपीलान्ट के विद्वान् अभिभाषक ने अपनी बहस में अपील मीमो में कहे गये कथनों को दोहराते हुए कथन किया कि परीक्षण न्यायालय में वादीगण रेस्पोडेन्ट के द्वारा धारा 188 एवं 183 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का दावा पेश किया था । परीक्षण न्यायालय में अपीलान्टगण ने काउन्टर क्लेम भी पेश किया था जिसको त्रुटिपूर्ण रूप से खारिज किया गया है । वादी क्रम 01 हेमराज के पिता वादिनी क्रम 3 के ससुर रामनारायण ने वादग्रस्त आराजी खसरा नम्बर 337 रकबा 0.58 हैक्टर अपीलान्टगण के पिता गोपाल को गवाहान के समक्ष दिनांक 10.05.1993 को 35000/- रूपये के प्रतिफल में बेचान का कब्जा संभला दिया था । वादग्रसत आराजी पर गोपाल एवं उसके बाद अपीलान्टगण निरन्तर काबिज हैं । अपीलान्टगण इसके सद्भावी क्रेता हैं । माननीय राजस्व मण्डल के आदेश दिनांक 03.01.2018 की पालना में अपीलान्ट के द्वारा संशोधित जवाबदावा मय काउन्टर क्लेम पेश किया गया था । संशोधित जवाबदावे के अनुसार संशोधित तनकीयात कायम नहीं की गई और न ही शाहदत ली गई और पुराने तनकीयात के आधार पर ही दावा निर्णित किया गया है । विक्रय पत्र को गवाहान से प्रमाणित करवाया है । वादी रेस्पोडेन्ट की कब्जा प्राप्त करने की अवधि समाप्त हो चुकी है। दावा बेरून मियाद है । प्रतिकूल कब्जे के आधार पर खातेदारी अधिकार प्रदान करने पर कोई प्रतिबन्ध नहीं है । अपीलान्ट अपने कब्जे को प्रोटेक्ट करने के अधिकारी हैं । अतः दोनों अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर परीक्षण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 06.03.2020 निरस्त फरमायी जावे । उन्होंने अपने पक्ष के समर्थन में एआईआर 2003 (एससी) पेज 1905, आरआरटी 2019 (2) पेज 1354, आरआरडी 1988 पेज 17, आरआरडी 1988 पेज 18, आरएलडब्ल्यू 1979 पेज 212, आरबीजे (6) 1999 पेज 504, डीएनजे (राज0) 1998 पेज 1778, आरआरडी 1981 पेज 204, आरआरडी 19994 पेज 528, आरआरटी 2006 (2) पेज 1318 उद्वरत की ।

9. रेस्पोडेन्ट के विद्वान् अभिभाषक ने अपनी बहस में कथन किया कि रेस्पोडेन्ट के द्वारा धारा 183 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत दावा पेश किया गया था । अपीलान्ट को रेस्पोडेन्ट की आराजी पर कब्जा बनाये रखने का काई अधिकार नहीं है । परीक्षण न्यायालय ने विधि सम्मत रूप से दस्तावेजी एवं मौखिक साक्ष्य की विवेचना कर निर्णय पारित किया है । अतः दोनों अपील अपीलान्ट खारिज फरमाई जाकर परीक्षण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिकी दिनांक 06.03.2020 बहाल रखा जावे ।

10. हमने पत्रावली का अद्योपान्त अवलोकन किया एवं उभयपक्ष के विद्वान् अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया । परीक्षण न्यायालय में वादीगण रेस्पोडेन्ट ने बेदखली एवं स्थायी निषेधाज्ञा का दावा पेश किया है जिसमें प्रतिवादीगण ने जवाबदावा मय काउन्टर क्लेम पेश किया है । वादी ने दस्तावेजी साक्ष्य में नकल जमाबन्दी संवत् 2059–62 प्रदर्श–1 पेश किया है जिसके अनुसार वादग्रस्त आराजी हंसराज पुत्र रामनारायण के खाते में दर्ज है । नकल जमाबन्दी संवत् 2071–74 प्रदर्श–2 संलग्न है जिसके अनुसार वादग्रस्त आराजी वादीगण के खाते में दर्ज है ।

11. प्रतिवादीगण की ओर से एक तहरीर प्रदर्श– डी–1, प्रदर्श– डी–2 प्रथम सूचना रिपोर्ट की प्रति, प्रदर्श– डी–3 न्यायिक मजिस्ट्रेट के समक्ष वादीगण द्वारा पेश किये गये परिवाद एवं उस पर की गई कार्यवाही की प्रति पेश किये हैं ।

12. दावे के समर्थन में वादी की ओर से बयान मोनू कुमार पीडब्ल्यू– 1, राममूर्ति बाई पीडब्ल्यू–2 कराये गये हैं । इनमें से राममूर्ति बाई ने न्यायालय में उपस्थित होकर अपने शपथ पत्र की ताईद नहीं की है ।

13. प्रतिवादी की ओर से बयान रामकिशन डीडब्ल्यू–1, हेमराज डीडब्ल्यू– 2, विशन लाल डीडब्ल्यू–3 कराये गये हैं ।

14. वादी के द्वारा परीक्षण न्यायालय में बेदखली एवं स्थायी निषेधाज्ञा का दावा पेश किया है और दावे में यह कथन किया है कि प्रतिवादीगण दिनांक 14.07.2006 को वादग्रस्त भूमि पर आये और कब्जा कर लिया । प्रतिवादीगण ने जो जवाबदावा मय काउन्टर क्लेम पेश किया है उसमें मुख्य रूप से यह कथन किया है कि वादग्रस्त आराजी उनके द्वारा दिनांक 01.05.1993 को 35000/– रूपये में कय कर कब्जा प्राप्त किया है । कय के लिए तहरीर 10/– रूपये के स्टाम्प पर निष्पादित की गई है तब से ही इस आराजी पर वादीगण का कब्जा नहीं है । प्रतिवादीगण दिनांक 10.05.1993 से बहैसियत खरीददार काबिज मालिक हैं । उन्होंने यह भी अंकित किया है कि 24 वर्षों से अधिक समय से लगातार कब्जा होने के कारण प्रतिकूल कब्जे के आधार पर भी वो खातेदार हो गये हैं । प्रतिवादीगण ने अपने जवाबदावे में कहीं भी यह अंकित नहीं किया है कि वो इस आराजी पर अतिकमी कौनसी तिथि से हुए क्योंकि यदि अपंजीकृत दस्तावेज के आधार पर वादग्रस्त आराजी पर सन् 1993 से अपना कब्जा बता रहे हैं तो यह कब्जा परमिजिव पजेशन (permissive possession) की श्रेणी में आएगा न कि एडवर्स पजेशन । ऐसी स्थिति में न तो वे प्रतिकूल कब्जे के आधार पर खातेदारी अधिकार की प्रार्थना कर सकते हैं और न ही मियाद के बाबत् धारा 183 के दावे में उनकी आपत्ति स्वीकार किये जाने योग्य है । जहॉ तक मियाद के बाबत् तनकी बनाये जाने का प्रश्न है । परीक्षण

न्यायालय के द्वारा जो तनकीयात कायम की गई हैं उसमें तनकी नम्बर 03 अप्रत्यक्ष रूप से मियाद से ही सम्बन्धित है क्योंकि यह तनकी प्रतिवादीगण के जवाबदावे के आधार पर बनायी गई है और इसमें यह अंकित किया गया है कि प्रतिवादीगण ने दिनांक 10.05.1993 को वादग्रस्त आराजी को क्रय किया है और तब से इस पर काबिज हैं । परीक्षण न्यायालय ने इस तनकी को प्रतिवादीगण के खिलाफ तय किया है । यदि तर्क के लिए प्रतिवादीगण के इस कथन को सही ही किया जावे कि उन्होंने अपंजीकृत तहरीर के आधार पर इस आराजी को क्रय कर कब्जा प्राप्त किया हे तब भी वो धारा 183 के तहत सन् 1993 से अतिक्रमी की श्रेणी में नहीं आयेगें वरन् उनका कब्जा परमिजिव पजेशन (permissive possession) ही माना जावेगा ।

15. यहॉ यह भी उल्लेखनीय है कि जिस तहरीर के आधार पर अपीलान्ट वादग्रस्त आराजी को क्रय करना बताते है वो अपंजीकृत है, पूर्ण मुद्रांकित नहीं है । इस तहरीर से इस आराजी में किसी प्रकार के स्वत्व अपीलान्ट को प्राप्त नहीं होते हैं और न ही प्रतिकूल कब्जे से उन्हें खातेदारी अधिकार प्रदान किये जा सकते हैं । विद्वान् अभिभाषक अपीलान्ट द्वारा उद्वरत नजीर आरआरटी 2019 (2) पेज 1345 भी यहॉ चस्पा नहीं होती है क्योंकि उन्होंने जवाबदावे एवं काउन्टर क्लेम में कहीं भी यह स्पष्ट नहीं किया है कि उनका कब्जा प्रतिकूल कब हुआ क्योंकि विक्रय की तहरीर के आधार पर यदि कब्जा प्राप्त किया है तो प्रतिकूल कब्जे की श्रेणी में नहीं आएगा । जहॉ तक विद्वान् अभिभाषक अपीलान्ट का यह कथन है कि संशोधित जवाबदावे के आधार पर पुनः तनकीयात कायम की जानी चाहिए । इस क्रम में संशोधित जवाबदावे व इस हेतु पेश प्रार्थना पत्र का अवलोकन किया गया । जिसमें यह अंकित किया है कि इकरारनामे की तिथि दिनांक 10.05.1993 है व पिछले जवाब में तारीख अन्य है । अतः संशोधित जवाब पेश करना चाहते हैं । अपीलान्ट का यह प्रार्थना पत्र परीक्षण न्यायालय द्वारा खारिज किया गया था जिसकी निगरानी माननीय राजस्व मण्डल द्वारा दिनांक 03.01.2018 को स्वीकार की गई थी और इसके उपरान्त अपीलान्ट ने संशोधित जवाबदावा पेश किया गया था । इसके आधार पर तनकीयात में तनकी नम्बर 03 में तिथि संशोधित की जा चुकी है । ऐसी स्थिति में विद्वान् अभिभाषक अपीलान्ट के इस तर्क से भी हम सहमत नहीं हैं कि संशोधित जवाब के उपरान्त पुनः तनकी कायम की जानी चाहिए थी । परीक्षण न्यायालय में वादी के द्वारा धारा 183 एवं 188 के अन्तर्गत वाद प्रस्तुत किया है जिसे परीक्षण न्यायालय ने विधि सम्मत रूप से पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य के आधार पर तनकीवार विवेचन करते हुए स्वीकार किया है और काउन्टर क्लेम खारिज किया है जिसमें हम किसी प्रकार का हस्तक्षेप किया जाना उचित नहीं समझते हैं ।

16. अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर दोनों अपील अपीलान्ट संख्या 2020/00065 एवं 2020/00066 खारिज की जाती है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 06.03.2020 बहाल रखा जाता है ।

17. निर्णय आज दिनांक 17.08.2021 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

17/8/2021

(भागवंती जेठवानी)
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

अपील में डिक्री

(आदेश 41 रूल 35, जाप्ता दीवानी)

राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

बइजलास भागवंती जेठवानी, आर.ए.एस.

अपील संख्या : 2020/00065

1. सुरेश चन्द आत्मज गोपाल जाति मीणा ।
2. रामकिशन आत्मज गोपाल जाति मीणा ।
3. रामचरण आत्मज गोपाल जाति मीणा निवासीगण ग्राम गढेपान तहसील दीगोद जिला कोटा ।

––अपीलार्थी

बनाम

1. स्व0 हंसराज आत्मज रामनारायण जाति गुर्जर निवासी ग्राम रेलगॉव तहसील दीगोद जिला कोटा (मृतक) जरिये कायममुकामान :–
   1/1. मोनू कुमार आत्मज स्व0 हंसराज जाति गुर्जर ।
   1/2. अशोक कुमार आत्मज स्व0 हंसराज जाति गुर्जर ।
   1/3. आशा कुमारी पुत्री स्व0 हंसराज जाति गुर्जर निवासीगण ग्राम रेलगॉव तहसील दीगोद जिला कोटा ।
2. श्रीमती राममूर्ति बाई पत्नी स्व0 श्री हंसराज जाति गुर्जर निवासी ग्राम रेलगाूव तहसील दीगोद जिला कोटा ।

––प्रत्यर्थी

अपील संख्या : 2020/00066

1. सुरेश चन्द आत्मज गोपाल जाति मीणा ।
2. रामकिशन आत्मज गोपाल जाति मीणा ।
3. रामचरण आत्मज गोपाल जाति मीणा निवासीगण ग्राम गढेपान तहसील दीगोद जिला कोटा ।

––अपीलार्थी

बनाम

1. स्व0 हंसराज आत्मज रामनारायण जाति गुर्जर निवासी ग्राम रेलगॉव तहसील दीगोद जिला कोटा (मृतक) जरिये कायममुकामान :–
   1/1. मोनू कुमार आत्मज स्व0 हंसराज जाति गुर्जर ।
   1/2. अशोक कुमार आत्मज स्व0 हंसराज जाति गुर्जर ।
   1/3. आशा कुमारी पुत्री स्व0 हंसराज जाति गुर्जर निवासीगण ग्राम रेलगॉव तहसील दीगोद जिला कोटा ।
2. श्रीमती राममूर्ति बाई पत्नी स्व0 श्री हंसराज जाति गुर्जर निवासी ग्राम रेलगाूव तहसील दीगोद जिला कोटा ।

——**प्रत्यर्थी**

बनाराजगी आदेश निर्णय एवं डिक्री दिनांक 06.03.2020 अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, दीगोद जिला कोटा ।

वाद संख्याः 33/दावा/2017

1. स्व0 हंसराज आत्मज रामनारायण जाति गुर्जर निवासी ग्राम रेलगॉव तहसील दीगोद जिला कोटा (मृतक) जरिये कायममुकामान :–
   1/1. मोनू कुमार आत्मज स्व0 हंसराज जाति गुर्जर ।
   1/2. अशोक कुमार आत्मज स्व0 हंसराज जाति गुर्जर ।
   1/3. आशा कुमारी पुत्री स्व0 हंसराज जाति गुर्जर निवासीगण ग्राम रेलगॉव तहसील दीगोद जिला कोटा ।
2. श्रीमती राममूर्ति बाई पत्नी स्व0 श्री हंसराज जाति गुर्जर निवासी ग्राम रेलगाूव तहसील दीगोद जिला कोटा ।

——वादी

बनाम

1. सुरेश चन्द आत्मज गोपाल जाति मीणा ।
2. रामकिशन आत्मज गोपाल जाति मीणा ।
3. रामचरण आत्मज गोपाल जाति मीणा निवासीगण ग्राम गढेपान तहसील दीगोद जिला कोटा ।

——प्रतिवादी

अपील का ज्ञापन

1. **उक्त अपीलार्थी उपर्युक्त वाद न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, दीगोद जिला कोटा द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 06.03.2020 की अपील न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा में निम्नलिखित कारणों से करता है, अर्थात...** कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय त्रुटिपूर्ण होने से निरस्तनीय है । अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जावे ।

2. यह अपील तारीख 17.08.2021 को बहाजरी अपीलान्ट की ओर से दोनों अपीलों में श्री नरेन्द्र गुप्ता एवं रेस्पोडेन्ट की ओर से अभिभाषक श्री घनश्याम नागर के उपस्थित आने पर यह आदेश दिया दोनों अपील अपीलान्ट संख्या 2020/00065 एवं 2020/00066 खारिज की जाती है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 06.03.2020 बहाल रखा जाता है ।

3. इस अपील के खर्चे एवं मूल वाद के खर्चे पक्षकारान द्वारा स्वयं वहन किये जाने है ।

यह डिक्री आज तारीख 17.08.2021 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगा कर दी गई।

मुहर

17.8.2021

(भागवंती जेठवानी)
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा